आर्यावर्त बैंक, प्रधान कार्यालय

आर्यावर्त बैंक ऑफिसर/वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ दिनांक 05.09.2022 को हुई सलाहकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही

दिनांक 05.09.2022 को प्रबंधन एवं आर्यावर्त बैंक ऑफिसर/वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के मध्य सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें एसोसिएशन एवं प्रबंधन की ओर से निम्नलिखित द्वारा सहभागिता की गयी।

1. श्री अमिताभ बनर्जी - अध्यक्ष, आर्यावर्त बैंक
2. श्री सत्येन्द्र कुमार- महाप्रबंधक, आर्यावर्त बैंक
3. श्री के.के. सिंह- सहायक महाप्रबंधक, आर्यावर्त बैंक
4. श्री आशुतोष चौबे- मुख्य प्रबंधक, आर्यावर्त बैंक
5. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह- वरिष्ठ प्रबंधक, आर्यावर्त बैंक

1. श्री रोहित कुमार सिंह, अध्यक्ष, ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन
2. श्री ललित सिंह, महामंत्री, ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन,
3. श्री रोहित सिंह, अध्यक्ष, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन,
4. श्री प्रवीन कुमार सिंह, महामंत्री वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन

बैठक का प्रारंभ करते हुए श्री के.के. सिंह, सहायक महाप्रबंधक द्वारा प्रबंधन पक्ष एवं एसोसिएशन प्रतिनिधियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रथम त्रैमासिक सलाहकार समिति की बैठक में स्वागत किया गया तत्पश्चात एसोसिएशन के महामंत्री श्री ललित सिंह द्वारा समिति की बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व में दिनांक 22.03.2022 को संपन्न हुई सलाहकार समिति लिखित पत्र के कुछ बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा परामर्शित किया गया कि सलाहकार समिति में व्यापक कार्मिक हित के मुद्दे पर चर्चा होने चाहिये, साथ ही यह भी कहा गया कि इस प्रकार की बैठक का आयोजन नियमित अन्तराल पर किया जाना चाहिये। किसी भी प्रकार की समस्या या सुझाव हेतु संगठन के सदस्य प्रबंधन से आवश्यकतानुसार वार्ता कर सकते हैं। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा भारत सरकार के वित्तीय सेवायें विभाग द्वारा ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में आयोजित हुई बैठकों के मुख्य बिन्दुओं से अवगत कराया।

सर्वप्रथम संगठन द्वारा पूर्व में दिनांक 22.03.2022 को संपन्न हुई सलाहकार समिति की बैठक के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा दिनांक 15.06.2022 को उपलब्ध कराये गये प्रस्तावित समाधान एवं कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा की गयी, जिसके मुख्य बिंदु निम्नवत हैं :-

क्रम सं०	दिनांक 22-03-2022 को सम्पन्न बैठक में संगठन के वार्ता बिन्दु जो कि वर्तमान में भी पूर्ण रूप से निदान नहीं हुए हैं	प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए दिनांक 22-03-2022 को समप्न बैठक के Minutes	वर्तमान में सम्पन्न होने वाली CCM बैठक में शेष बिन्दुओं पर हुई प्रगति के सापेक्ष वस्तु स्थिति की जानकारी/तर्क/अनुरोध एवं सुझाव	प्रबंधन द्वारा दिनांक 05-09-2022 को सम्पन्न होने वाली IRM बैठक का कार्यवृत्त
(i)	कृपया संगठन के पत्रांक ABOO_WO/2021/020 दिनांक 31.05.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.01.2020 तक NPS Employer Contribution के अंतर की राशि को समस्त कार्मिकों के NPS PRAN में अंतरित करवाने हेतु अनुरोध किया गया था। कृपया संज्ञान ग्रहण करते हुए कार्यवाही करने का कष्ट करें।	इस संदर्भ में नाबार्ड एवं प्रवर्तक से आवश्यक दिशानिर्देश हेतु अनुरोध किया गया है, जिसका अनुस्मारक भी प्रेषित किया गया है। आवश्यक निर्देश अभी तक प्रतीक्षित हैं।	कृपया वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें कि क्या अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति हुई है अथवा निर्देश प्राप्त हुए हैं? ताकि संगठन आगे दोनों नियोक्ताओं से अपने स्तर पर अनुश्रवण कर सके।	नाबार्ड एवं प्रवर्तक बैंक से आवश्यक दिशानिर्देश प्रतीक्षित है।
(ii)	कृपया संगठन के पत्रांक ABOO_WO/2021/016 दिनांक 25.05.2021 एवं विभिन्न emails का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से Non CCA centres पर Fixed allowance के साथ साथ अधिकारियों को Learning allowance एवं कार्मिक वर्ग को Transport allowance हेतु अनुरोध किया गया था। अत्यंत खेद का विषय है कि इन allowances को समान रूप से लागू नहीं किया गया। कृपया इस ओर ध्यान दिया जाए।	ग्रामीण बैंकों में नॉन CCA Centres पर Fixed Conveyance Allowance व Learning Allowance प्रदान करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश अभी तक IBA/DFS द्वारा निर्गत नहीं किए गए हैं। IBA/DFS द्वारा निर्देश प्राप्त होने के उपरांत प्रवर्तक बैंक व बोर्ड से	कृपया इस संबंध में IBA/DFS से यदि कोई निर्देश प्राप्त हुआ हो तो कृपया संगठन को सूचित करें। यदि नहीं प्राप्त हुआ है तो आज जब भारत सरकार RRBs के विकास और उनमें ढांचागत एवं तकनीकी सुधार हेतु तीव्र गति से प्रयास कर रही है तो इस विषय को पुनः	नाबार्ड/DFS से आवश्यक दिशानिर्देश प्रतीक्षित है। तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। वित्तीय सेवायें विभाग द्वारा HR कमेटी बनाकर HR ISSUES पर कार्य किया जा रहा है।

		अनुमोदन प्राप्त कर इसे लागू कर दिया जाएगा।	अवलोकन हेतु IBA/DFS को प्रेषित किया जाना चाहिए, यह संगठन सुझाव सहित अनुरोध करता है।	
(iii)	APAR के numbers declare किए जाएँ ताकि अधिकारी कर्मचारियों को उनके Superiors द्वारा दिये गए Numbers पता चल सकें एवं यदि किसी Superior ने द्वेष वश APAR खराब किया हो तो अधिकारी कर्मचारी को अपील करने का अधिकार होना चाहिए इससे उच्च अधिकारियों एवं क्षेत्रपालकों के मनमाने रवैये पर अंकुश भी लगेगा और कार्य स्वच्छता का वातावरण भी संस्था बनेगा जिससे संस्था का विकास होगा।	इस संबंध में मार्गदर्शन हेतु प्रवर्तक बैंक को पत्र प्रेषित कर दिया गया है, प्रवर्तक बैंक से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत इस पर निर्णय लिया जाएगा।	प्रवर्तक बैंक से क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं कृपया सूचित किया जाए। यह सुविधा प्रवर्तक बैंक में लागू है और HRMS प्रवर्तक बैंक से ही है तो Aryavart Bank में लागू करने में क्या बाधा आ रही है। सादर अनुरोध है कि कृपया संगठन को सूचित किया जाए।	HRMS UPGRADATION हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। HRMS UPGRADE होते ही इस दिशा में कार्य किया जायेगा । भारत सरकार द्वारा दिए गये 40 पॉइंट्स में APR प्रक्रिया में सुधार भी सम्मिलित है।
(iv)	समय समय पर संगठन द्वारा प्रबंधन को Online transaction channels बैंक में लागू करने हेतु सुझाव दिया जाता रहा है जिसमें UPI, Mobile Banking, Internet Banking, IMPS शामिल हैं जिससे हमारा बैंक वर्तमान के प्रौद्योगिकी युग में अन्य बैंको के साथ compete कर सके। किन्तु खेद का विषय है कि अभी तक यह सुविधाएं हमारे बैंक के ग्राहकों हेतु लागू नहीं हो सकी हैं जिससे बैंक व्यवसाय ऐसी क्षति पहुँच रही जो आने वाले समय में भर पाना कठिन कार्य होगा।	बैंक द्वारा प्रवर्तक बैंक के साथ आवश्यक अनुश्रवण किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप SMS अलर्ट शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है। मोबाइल बैंकिंग के लिए भी बैंक स्तर से सक्रिय प्रयास किया जा रहा है। इंटरनेट बैंकिंग हेतु बैंक अहर्ता मापदंडों को पूरा नहीं करती है।	Missed Call Alert कुछ समय पूर्व लागू हो गया है जिसके लिए प्रधान कार्यालय आईटी विभाग की टीम और प्रमुख के साथ आप बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं। यह बहुत ही जानुपयोगी सुविधा है और Balance enquiry से शाखाओं को अत्यंत राहत मिली है। कृपया UPI, Mobile Banking व Internet Bankinig के संबंध में क्या प्रगति हुई है? इस विषय में संगठन को जानकारी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।	इन्टरनेट बैंकिंग VIEW FACILITY प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष सुविधायें इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के उपरान्त समयबद्ध रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है । QR कोड, PMSWANIDHI के खाता धारकों के लिये शीघ्र उपलब्ध होगा।
(v)	हमारे जो कर्मचारी (Office Assistants एवं Office Attendents) लोक अदालत अथवा अवकाश के दिन बैंक कार्य में सहयोग में लगाए जाते हैं उन्हें Overtime/Allowance अवश्य दिया जाए। यह कहीं से भी सही नहीं हैं कि अधिकारियों को लोक अदालत का Allowance तो मिले किन्तु कर्मचारी को कुछ न मिले। इस हेतु आवश्यक ध्यान दिया जाए और इस प्रकार की अनीति को समाप्त किया जाए। अवकाश के दिन कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी को उचित Allowance/ Overtime / Compensatory Leave दी जाए।	लोक अदालत या अवकाश के दिनों में बैंक कार्य में सहयोग में लगाए जा रहे कार्यालय सहायक/ कार्यालय परिचर को बैंक नियमानुसार TA एवं Halting allowance का भुगतान किया जा रहा है।	क्षेत्रीय कार्यालयों को कृपया आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करें ताकि इसका पूर्ण रूप अनुपालन किया जाए क्यूंकि कुछ कार्यपालक / कार्यालय Allowance देने में ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वे बैंक कार्य के लिए अपनी ज़ेब से कर्मचारी को दे रहे हों और नहीं देते हैं। हमारे संगठन का ध्येय है कि **देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम।** हम बैंक हित में कार्य करने को तत्पर हैं, करते भी रहे हैं और सज्ज है किन्तु उसी के अनुसार नियमानुसार Allowance/ व overtime भी कार्मिकों को दिया जाना चाहिए। यह संगठन प्रबल रूप से मांग करता है। आज जब कार्मिकों को देर तक कार्य करने हेतु कहा जा रहा है तो उसी के	क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित कर दिया गया है। यदि किसी क्षेत्र विशेष की कोई घटना विशेष संज्ञान में है तो अवगत करायें।

			अनुसार Overtime भी दिया जाए| हमारे कर्मचारी बैंक हित में कार्य करने में कहीं से भी पीछे नहीं हैं|	
(vi)	जिस प्रकार किसी भी बचत खाते में लेन-देन के समय उस खाते से संबन्धित यदि ऋण खाता खराब चल रहा होता है तो NPA pop-up finacle पर आता है उसी प्रकार यदि ऋण खाता Overdue है तो भी ऐसा ही Overdue pop-up आना चाहिए ताकि overdue के स्तर पर Monitoring एवं वसूली की जा सके जिससे Divergent list और NPA list का बड़ा होते जाना समाप्त होता जाएगा|	उक्त प्रकरण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया गया है|	कृपया इस अत्यंत आवश्यक विषय पर प्रगति से संगठन को अवगत करवाने का कष्ट करें| संगठन पुनः यह दोहराता है ऐसा संभव हो जाने पर Overdue पर प्रभावी रोक समय रहते लगेगी और Divergent भी जो लगातार बढ़ता जा रहा है नहीं होगा जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे NPA पर प्रभावी कंट्रोल किया जा सकेगा| कृपया इस ओर ध्यान दिया जाए|	आईटी विभाग द्वारा डाटा सेंटर को ई-मेल प्रेषित किया गया है,	डाटा सेंटर द्वारा अवगत कराया गया है कि हार्डवेयर में बदलाव के उपरान्त ही यह संभव है	
(vii)	ऋण प्रक्रिया में Impersonation को रोकने के लिए सबसे प्रमुख KYC दस्तावेज़ Aadhar को E-Aadhar के माध्यम से लेना ही नियम बनाया जाए जिससे किसी आवेदक के न केवल Aadhar की प्रामाणिकता सिद्ध होती है अपितु उसका Aadhar में लगा हुआ दूरभाष नंबर भी मिलता है| इस प्रकार प्रारंभिक स्तर पर ही हम Impersonation को रोक सकते हैं साथ ही E-kyc की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं|	प्रधान कार्यालय के ऋण एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इसकी संभावना तलाशने हेतु परामर्शित कर दिया गया है|	संगठन यह स्पष्ट करना चाहता है कि यह विषय केवल ऋण प्रक्रिया में नियम से संबन्धित है| इसमें केवल UIDAI की website से आवेदक का ई-आधार उसके अधिकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP Mandate के जरिये प्राप्त करना होता है| यह पूरे बैंक में सुझाव के रूप में अथवा नियम के रूप में लागू करने से समस्या से निजात मिल सकेगी| वार्ता के दौरान इसका एक Live Demo संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा|	UIDEKYC बायोमेट्रिक प्रारम्भ हो चुका है	शाखायें demograhpic authentication पूर्ण करके impersonation को रोकने का प्रयास कर सकती हैं	
(viii)	वर्तमान में Euid-ekyc OTP के माध्यम से होता है जिसमें बहुत समय व्यर्थ होता है कृपया इसे Biometric के माध्यम से लागू करवाया जाए ताकि इस कार्य में तेजी आए और शाखाओं में अनावश्यक भीड़ को समाप्त किया जा सके|	बायोमैट्रिक E-KYC की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है| शीघ्र इसे शाखाओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे उक्त कार्य पूर्ण किया जा सकेगा|	पिछले वार्ता को लगभग 06 माह पूर्ण होने को हैं किन्तु अभी तक टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात भी शाखाओं को उपलब्ध नहीं करवाया जा सका है| कृपया इस स्थिति पर प्रकाश डालने का कष्ट करें|	बायोमेट्रिक के माध्यम से UIDEKYC की सुविधा प्रारम्भ हो चुकी है	
(ix)	आज जहां बैंक में Youth की संख्या 70% को पार कर रही है, ऐसे में ऐसे staff की कम आयु में Casualty की स्थिति में Future Gratuity Insurance की सुविधा से कवर कराया जाए जिससे casualty जैसी विपरीत परिस्थिति में Young staff के परिवार को आर्थिक कष्ट न झेलने पड़ें|	FGI की सुविधा लगे करने हेतु बीमा कंपनियों से वार्ता के उपरान्त, इसकी आर्थिक संभाव्यता का विश्लेषण करने के उपरान्त निर्णय लिया जाएगा|	कृपया सूचित किया जाए कि क्या बीमा कंपनियों से इस विषय में कुछ आवेदन आमंत्रित किए गए हैं? बैंक के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के हित में इस विषय के महत्व को समझते हुए इस पर आवश्यक चर्चा अपेक्षित है|	जिन कंपनियों के पास Gratuity का Fund है उनके वार्षिक शुल्क देय तिथि (SBI/LIC-01.04.2023, KOTAK/HDFC-26.09.2022) के समय कोटेशन प्राप्त करने पर प्रीमियम कम आने की सम्भावना है	अतः इस विषय पर जनवरी-2023

				के उपरान्त ही विचार किया जायेगा।
(x)	Cash Remittance की गाड़ियों में सुरक्षा मानकों का पुख्ता इंतजाम करने के साथ Cash remittance staff के कार्य में अत्यधिक Risk Factor को देखते हुए स्टाफ का अतिरिक्त बीमा करवाया जाए।	Cash Remittance व Cash Shortage के संबंध में बैंक द्वारा INDEMNITY POLICY प्राप्त की गयी है परंतु नकदी प्रेषण स्टाफ का जीवन बीमा आच्छादित करने में बीमा कंपनियों द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी है, क्योंकि यह INDEMNITY POLICY में आच्छादित नहीं किया जा सकता।	ऐसी स्थिति में क्यूँ न RISK FACTOR को देखते हुए CASH REMITTANCE में कार्मिकों हेतु दुर्घटना/मृत्यु की स्थिति में बैंक में आंतरिक स्तर पर कोई राशि आवंटित करने का प्रावधान किया जाए क्यूंकि कार्मिक का जीवन महत्वपूर्ण है और उसके जीवन से उसके परिवार का भी जीवन जुड़ा होता है ऐसे में कार्मिकों को बिना बीमा के RISK में नहीं छोड़ा जा सकता।	इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबंधकों को परामर्शित किया जायेगा कि कैश remittance की गाड़ियों के सुरक्षा मानकों की नियमित अन्तराल पर समीक्षा की जाये व कैश वैन कंपनियों से वार्ता कर सुरक्षा के पुख्ता इन्तेजाम कराये जायें। PAIS के अंतर्गत रू 7.00 लाख का बीमा देय है। कार्मिकों हेतु ड्यूटी के दौरान आकस्मिक दुर्घटना /मृत्यु की स्थिति में अतिरिक्ति बीमा के प्रावधान का प्रयास किया जायेगा।
(xi)	नए स्टाफ के आगमन को देखते हुए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर की शीघ्र खरीद की जाए।	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है जिसके उपरान्त शाखाओं को हार्डवेयर उपलब्ध कराया जाएगा।	हाल ही में बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई है, यदि निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तो संभवतः बोर्ड द्वारा अनुमति भी प्राप्त हो गई होगी। कृपया वर्तमान स्थिति से संगठन को अवगत करवाने का कष्ट करें कि आवश्यक Computer Hardware क्रय का कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।	आई टी विभाग व प्रशासन एवं सेवा विभाग स्तर पर कार्य प्रगति पर है।
(xii)	Natural Justice के सिद्धान्त का पालन करते हुए कार्मिक मामलों में Defence Representative को भी नियमानुसार TA-DA का भुगतान किया जाए व DR करते समय उसे सिद्धान्त के अनुसार OnDuty माना जाए, जिससे कि अभियुक्त को अपना पक्ष न्याय सिद्धांतों के अनुसार रखने का पूर्ण अवसर मिले, जिससे कि संविधान में निहित नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन हो सके।	इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने हेतु नाबार्ड से अनुश्रवण किया जा रहा है।	कृपया अनुश्रवण कार्यवाही के उपरान्त प्राप्त उत्तर से संगठन को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि संगठन अपने स्तर से भी आवश्यक अनुश्रवण कर सके।	बचाव प्रतिनिधि के TA/DA भुगतान से सम्बंधित सभी बिन्दुओं का अवलोकन कर भुगतान पर विचार किया जायेगा।
(xiii)	नियंत्रक कार्यालयों में संवेदनशील पदों पर 03 वर्ष से अधिक एक ही स्टाफ की नियुक्ति न की जाए।	संवेदनशील पद हेतु आवश्यक निर्देश परिपत्र के माध्यम से बैंक द्वारा जारी किया गया है। वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त संवेदनशील पदों पर पदस्थ अधिकारियों की सूची व पूर्ण विवरण प्राप्त किया जाएगा।	स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण हुए समय हो चुका है। कृपया संगठन को सूचित किया जाए कि क्या संवेदनशील पदों पर पदस्थ अधिकारियों की सूची पूर्ण विवरण के साथ प्राप्त की गयी है? विषय पर आवश्यक चर्चा अपेक्षित है।	सभी कार्यालयों द्वारा इसका अनुपालन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में क्षे०का० से प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है। फिर भी अगर पालिसी के अनुरूप नहीं है तो अवगत करायें।
(xiv)	बैंक में कार्यालय परिचर के रिक्त पदों की सूचना दी जाए एवं शीघ्र ही कार्यालय परिचरों की भर्ती की जाए।	कार्यालय परिचर भर्ती प्रक्रिया के लिए IBA/NABARD से आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है।	कृपया वर्तमान प्रगति पर प्रकाश डालने का कष्ट करें।	कार्यालय परिचर भर्ती प्रक्रिया के लिए IBA/NABARD से आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(xv)	किसी NPA ऋण खाते के NPA से PA होने की दशा में Interest table code स्वतः Update नहीं हो रहा। System CBS होने के नाते इस कार्य को स्वतः हो जाना चाहिए।	इस प्रकरण के संबंध में प्रधान कार्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से डाटा सेंटर के माध्यम से लागू करने हेतु अग्रसारित कर दिया गया है।	प्रधान कार्यालय के अग्रेषण के उपरान्त भी आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है और शाखाओं को स्वतः ही यह कार्य करना पड़ता है जिसमें अनावश्यक समय लगता है।	इस प्रकरण के संबंध में प्रधान कार्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा डाटा सेंटर के माध्यम से लागू करने हेतु अग्रसारित कर दिया गया है।
(xvi)	विशेषज्ञ अधिकारियों को सामान्य बैंकिंग अधिकारियों में परिवर्तन के संबंध में	विशेषज्ञ अधिकारी को GENERAL BANKING OFFICER में परिवर्तन करने हेतु प्रवर्तक बैंक की पॉलिसी का अध्ययन करके भविष्य में लागू करने करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।	संगठन द्वारा इस विषय पर अत्यंत आवश्यक पत्राचार प्रधान कार्यालय एवं प्रवर्तक बैंक मुंबई को किया जा चुका है एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रतियाँ भी उपलब्ध कारवाई जा चुकी हैं साथ ही प्रवर्तक बैंक की पॉलिसी का सम्पूर्ण अध्ययन एवं RRB service regulation के अनुसार इस विषय की वैधानिकता को भी पूर्ण explain किया गया है। विषय लंबित है।	प्रवर्तक बैंक के अनुरूप अपने बैंक में भी पालिसी प्रक्रियाधीन है।
(xvii)	प्रोन्नति प्रक्रिया 2022 को अतिशीघ्र शुरू किया जाए।	मैनपावर प्लान अनुमोदन हेतु प्रवर्तक बैंक को प्रेषित किया गया है, प्रवर्तक बैंक से अनुमोदन के उपरान्त इसे माननीय निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर प्रोन्नति प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।	प्रकरण लंबित है आवश्यक चर्चा एवं विचार विमर्श अपेक्षित है।	प्रोन्नति प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारम्भ की जायेगी।

इसके उपरान्त वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम सलाहकार समिति की बैठक के एजेंडा बिन्दुओं पर चर्चा की गयी, जो कि निम्नवत है :-

क.सं.	एजेंडा बिंदु	प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित समाधान एवं कृत कार्यवाही
1.	कृपया हमारे संगठन के पत्रांक ABOO_WO/2022/025 दिनांक 18-05-2022, पत्रांक ABOO_WO/2022/041 दिनांक 04-08-2022 एवं पत्रांक ABOO_WO/2022/042 दिनांक 05-08-2022, विषय क्रमशः Promotion Process 2022 एवं SPO से GBO प्रमोशन/अंतरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके माध्यम से संगठन द्वारा बैंक में प्रोन्नति हेतु लंबित रिक्तियों को पिछले वर्ष 2021 में हुई प्रोन्नति के दौरान लंबित रिक्तियों एवं March-2023 तक हो रही सेवानिवृत्ति का record अध्ययन करकर प्रबंधन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर शीघ्र ही रिक्त पदों पर Promotion प्रक्रिया आरंभ करने का अनुरोध किया गया था। संगठन द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि बैंक में Cadre Crunch बढ़ता जा रहा है जिसके कारण उच्च श्रेणी की शाखा को उसके नीचे श्रेणी के अधिकारी द्वारा संभाला जा रहा है जो कि एक सेवा असंतुलन है। इस हेतु विशेषज्ञ अधिकारियों को भी साधारण अधिकारी वर्ग में प्रोन्नति हेतु सुझाव संगठन द्वारा पूर्ण अध्ययन एवं विधिक वैधानिकता को मद्देनजर रखते हुए प्रबंधन को दिया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णयों का भी संदर्भ लिया गया है। संगठन को आपके कार्यालय के पत्रांक प्र०का०/मा०सं०एवं औ०वि० /केकेएस/3388 दिनांक 16-08-2022 के माध्यम से सूचित किया है कि प्रधान कार्यालय के पत्रांक HO/HR & IL/KKS/3321 दिनांक 05-08-2022 के द्वारा प्रवर्तक बैंक से उचित मार्गदर्शन मांगा गया है। तत्पश्चात संगठन द्वारा भी प्रवर्तक बैंक को संबन्धित प्रकरण अपने दिनांक 19-08-2022 के पत्रांक ABOO_WO/2022/044 के माध्यम से प्रेषित किया गया	प्रवर्तक बैंक के अनुरूप पालिसी प्रस्तावित की जा रही है निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रोन्नति प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी।

	है| संबन्धित विषयों पर गहन चर्चा वार्ता के दौरान अपेक्षित है ताकि प्रकरणों को आपके समक्ष विस्तृत रूप से रखा जा सके एवं आवश्यक समाधान निकाला जा सके|	
2.	NABARD के दिनांक 26-08-2022 के पत्रांक Ref.No.NB.IDD.HO.RRB POLICY/545/316 (APPR)/2022-23 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से DFS, GoI द्वारा RRB में सभी स्तरों पर अनुमत Vacant Vacancies की जानकारी मांगी है| कृपया NABARD को हमारे Aryavart बैंक में विभिन्न Cadres में रिक्त पदों की क्या संख्या प्रेषित की गयी है अथवा की जा रही है, संगठन को भी सूचित करने का कष्ट करें|	आवश्यक सूचना प्रेषित कर दी गयी है, जिसका अवलोकन संगठन द्वारा किया जा सकता है
3.	कृपया संगठन द्वारा प्रेषित पत्रांक ABOO_WO/2022/035 दिनांक 06-07-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम संगठन द्वारा बैंक में त्रुटिपूर्ण रूप से लागू Mandatory Leave Policy के संबंध में अपनी असहमति व्यक्त की गई थी| इस संबंध में यह तथ्य विचार योग्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा दिनांक 09.07.2021 के Notification संख्या RBI/2021-22/70 DoR.ORG.REC.31/21.06.017/2021-22 के माध्यम से बैंक बोर्ड को Mandatory Leave की policy बनाने हेतु अधिकृत किया गया था एवं प्रत्येक Calendar year, 10 working days की Mandatory Leave, Sensitive Positions hold करने वाले अधिकारियों/विभाग प्रमुखों को देने का प्रावधान हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश दिये थे किन्तु कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि Mandatory Leaves को अधिकारियों की Earned Leave से Deduct किया जाएगा, इसके बावजूद हमारे बैंक में Mandatory Leaves को Special Leaves में न रखते हुए अधिकारियों की Earned Leave से काटा जा रहा है| यदि HRMS में कोई कमी है तो उसे दूर किया जाए न कि अधिकारियों की अर्जित अवकाश को काटा जाए| कृपया Mandatory Leave Policy में आवश्यक सुधार किया जाए|	प्रवर्तक बैंक के अनरूप अनिवार्य अवकाश नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है	प्रवर्तक बैंक के अनिवार्य अवकाश नीति में परिवर्तन होने पर तदनुसार लागू किया जायेगा	
4.	स्टाफ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पेट्रोल व्यय की प्रतिपूर्ति सीमा में संशोधन के संबंध में	बैंक की लाभप्रदता पर पड़ रहे असर का मूल्यांकन करते हुये निदेशक मण्डल की आगामी बैठक में पेट्रोल भत्ता में वृद्धि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा	
5.	प्रवर्तक बैंक के समान House Lease एवं Furniture facitlity Aryavart बैंक में लागू की जाए		House Lease एवं Furniture facitlity लागू करने की सम्भावना पर भविष्य में चर्चा की जायेगी	
6.	स्टाफ ऋणों के संबंध में प्रत्येक बार चर्चा के उपरांत भी यह विषय संगठन को वार्ता में रखने को विवश होना पड़ता है क्योंकि प्रधान कार्यालय द्वारा स्टाफ ऋणों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देशों के बाद भी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्टाफ ऋणों विशिष्ट रूप से House Loan को लंबे समय तक लटकाकर रखा जाता है| कृपया जिस प्रकार शाखाओं से No-Pendency cut slip ली जाती है उसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यालयों से Staff House Loan एवं अन्य Staff ऋणों के संबंध में No-Pendency cut slip मांगी जाए| पेंडिंग होने की स्थिति में pendency का सम्पूर्ण विवरण कारण सहित मांगा जाए| Staff ऋणों हेतु आवेदन आगमन एवं निस्तारण पंजिका प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बनाए जाने के निर्देश दिये जाएँ| साथ ही महाप्रबंधक अपने क्षेत्रीय कार्यालय दौरों से दौरान Staff ऋण पंजिका की जांच अवश्य करें| स्टाफ जिसकी Salary बैंक दे रहा है वह भी Retail ऋणों में बैंक का ग्राहक है जिसमें full security बैंक को प्राप्त होती है|	प्रधान कार्यालय के ऋण विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर लम्बित स्टाफ ऋणों का विवरण मंगाकर समीक्षा की जायेगी	
7.	कुछ परिक्षेत्रों में Staff Housing loan का sanction ऐसे कारणों से रोका जाता है जिनका कोई नियम नहीं है| जैसे किसी स्टाफ का Housing Loan RBIA report Closure न होने के कारण रोका जाना, Self-Perceptions के कारण रोका जाना इत्यादि| जबकि किसी स्टाफ के विरुद्ध यदि Vigilance Enquiry, कोई वैधानिक मुकदमा, कोई जांच जो आरंभ हो चुकी हो पेंडिंग है अथवा किसी punishment stage में हैं, ऐसे cases में Staff Loan पर रोक तो उचित है किन्तु इसके इतर निजी सोच अथवा किसी अन्य के द्वारा डाली गयी सोच के कारण Staff ऋणों पर निर्णय न लेना उचित नहीं है| कृपया इस हेतु स्पष्ट निर्देश लागू किए जाएँ ताकि staff को इस प्रकार की मनमानी से राहत मिले| ऐसे होने पर भी staff का प्रबंधन के प्रति रोष बढ़ता है और एक वैचारिक समरसता न होकर खाई पैदा होती है जो संस्था के लिए उचित नहीं है|	यदि किसी क्षेत्रीय कार्यालय में ऐसी स्थिति है तो उससे प्रधान कार्यालय को अवगत करायें जिससे सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय को परामर्शित किया जा सके	
8.	बैंक में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत बढ़ा है जिस कारण इस Workforce में वृद्धि हुई है इसलिए Women Grievance Cell को और	इस सम्बन्ध में समस्त नियंत्रक कार्यालयों में ICC पूर्व से ही कार्यरत है	

	अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाया जाए जिससे महिलाओं को कार्य करने हेतु उचित वातावरण मिल सके एवं उनकी समस्याएँ Women Cell के पदाधिकारियों द्वारा सीधे सुनी जाएँ और तत्पश्चात उच्च प्रबंधन के पास सीधे Wonem cell के माध्यम से पहुँचें जिससे महिलाओं को अपनी समस्याएँ कहने में संकोच न हो|	
9.	संगठन के संज्ञान में आया है कि कुछ परिक्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए Excel Sheet के माध्यम से बिना Mandate Form लिए ही करने के लिए Staff पर दबाव बनाया जाता है और करवाया जाता है| इस कारण इन योजनाओं के गलत क्रियान्वन से भविष्य में Claim के समय करने वाले स्टाफ की निजी ज़िम्मेदारी फिक्स होने की संभावना को अत्यधिक बल मिलता है साथ ही बैंक को क्षति पहुँचने की प्रबल संभावनाएँ हैं| यह प्रैक्टिस गलत है एवं इस हेतु अविलंब निर्देश जारी किए जाएँ कि बिना Mandate form के सामाजिक सुरक्षा बीमा न किया जाए अपितु Mandate Form के साथ ही किया जाए|	बैंक नियमों के अंतर्गत ही कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाता है | इस विषयवस्तु से वित्तीय समावेशन विभाग को भी अवगत कराया जायेगा |
10.	आजकल प्रतिदिन target देने का चलन हो गया है जिससे बैंक को कुछ हासिल नहीं हो रहा अपितु बैंक की workforce थकती चली जा रही है| Quaterly Targets पर Focus किया जाए और उन्हें प्राप्त करने हेतु साप्ताहिक समीक्षा की जा सकती है| दैनिक समीक्षा हास्यास्पद है|	बैंक हित को ध्यान में रखकर दैनिक समीक्षा की जा सकती है |
11.	प्रधान कार्यालय के पत्रांक सं./प्रका./सीएम/जेकेएस/303/2022-23 दिनांक 15-06-2022, विषय: ऋण खातों में MIS कोड में अग्रिम का उद्देश्य एवं अन्य फील्ड को परिवर्तित करने के संबंध में, में निहित स्पष्ट निर्देशों कि ऋणी की सहमति एवं क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति के बिना MIS code में परिवर्तन न किया जाए, के बावजूद कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा NPA reduction में अपनी progress प्रधान कार्यालय के समक्ष अच्छी दिखने के छद्म उद्देश्य के कारण शाखाओं से जबरन pressure देकर करवाया गया है| जो अधिकारी प्रधान कार्यालय के परिपत्र का हवाला देता है उसे अनुशासन के नाम पर स्पष्टीकरण पकड़ा दिया जाता है| संगठन यह विषय साक्ष्य होने पर ही रख रहा है इसलिए इसे गंभीरता के साथ लिया जाए| चूंकि संगठन का यह पत्र पूरे बैंक में पढ़ा जाता है और कौतूहल और हँगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है बल्कि सुधार होना चाहिए अस्तु हम उन परिक्षेत्रों के नाम नहीं पत्र में नहीं लिख रहे अपितु वार्ता के दौरान स्पष्ट रूप से रखेंगे|	प्रबंधन द्वारा NPA कम करने हेतु किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य के लिये नहीं निर्देशित किया जाता है और न ही कोई दबाव बनाया जाता है, भविष्य में भी ऐसी किसी कृत्य/प्रयास को प्रबंधन द्वारा हतोत्साहित किया जायेगा |
12.	सभी शाखाओं में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु Water Dispensar उपलब्ध करवाए जाएँ ताकि स्टाफ के साथ साथ ग्राहकों को भी सुविधा हो सके|	क्षेत्रीय कार्यालय WATER DISPENSAR हेतु प्राधिकृत है, यदि किसी शाखा में नहीं है, तो सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अवगत करायें | प्र०का० द्वारा भी क्षेत्रीय कार्यालय को आवश्यक निर्देश दिये जायेंगें |
13.	शाखाओं के सौंदर्यीकरण की ओर ध्यान दिया जाए| शाखाओं में उचित Furniture और 50 लाख से अधिक Profit वाली शाखाओं में AC लगवाए जाएँ ताकि ग्राहक सेवा में सुधार हो सके और अच्छे ग्राहक भी हमारी शाखाओं की ओर आकर्षित हो सकें| जो दिखता है वही बिकता है, यह आज के स्पर्धी युग का सिद्धान्त है| यदि हमें NBFCs, Private Banks और Nationalised Banks के समान Retail Business करना है तो उसी प्रकार सुविधा सम्पन्न होना होगा और दिखना भी होगा|	इस सम्बन्ध में 100 शाखायें चयनित कर ली गयी हैं | जिसमें शीघ्र ही एयर कंडीशन (AC) लगाया जायेगा |
14.	बैंक के Business में Third party business के Share प्रतिशत के साथ बैंक के लाभ में Third Party Business के Share प्रतिशत को वार्ता के दौरान संगठन को सूचित किया जाए|	भारत सरकार द्वारा RRB के लिये बनाये जा रहे रोडमैप में Third Party income भी एक महत्वपूर्ण घटक है | अतः इसके लिये प्रयास किये जाने चाहिये | बैंक के लाभप्रदता एवं विभिन्न आय से सम्बंधित समस्त विवरण बैंक के तुलनपत्र में उपलब्ध है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है |
15.	कृपया संगठन के पत्रांक ABOO_WO/2022/039 दिनांक 02-08-2022 विषय: बैंक मित्रों द्वारा बैंक स्टाफ के साथ की गयी अभद्रता एवं हिंसात्मक प्रयास, बैंक मित्रों के अविलंब निलंबन एव कार्यवाही के संबंध में, का संज्ञान ग्रहण करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से संगठन को अवगत करवाने का कष्ट करें एवं आगे भविष्य में न हो इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है इसके विषय में जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें| कौशांबी में महिला बैंक कर्मी पर Acid attack में बैंक मित्र की संलिप्तता का राज़फ़ाश कौशांबी कप्तान द्वारा मीडिया में दिया गया है| इस घटना से भी सबक लेने की	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बैंक मित्रों को निष्कासित करने के साथ ही स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है |

	आवश्यकता है और हमारे बैंक में ऐसी कोई घटना न हो जिससे बैंक की छवि धूमिल हो, उसके लिए प्रभावी प्रयास एवं कार्यवाही करने की आवश्यकता है| विषय को गंभीरता के साथ लिया जाए|	
16.	सेवानिवृत्ति से पूर्व कार्मिकों की कोई जांच कार्यवाही लंबित हो तो उन्हें शीघ्र सकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाना चाहिए ताकि सेवानिवृत्ति के समय कार्मिक सम्मान के साथ संस्था से विदा ले और सममानपूर्वक शेष जीवन व्यतीत कर सके|	प्रयास किये जा रहे हैं
17.	पूर्व में हुए सेवानिवृत्त कार्मिकों के लंबित जांच प्रकरण त्वरित गति से और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए निस्तारित किए जाएँ| अनावश्यक रूप से उन्हें लंबित न रखा जाए|	प्रधान कार्यालय स्तर पर सेवानिवृत्त कार्मिकों के लम्बित जाँच प्रकरण को त्वरित गति से निस्तारित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
18.	प्रायः EO/PO concept किसी भी जांच कार्यवाही की निष्पक्ष जांच हो ऐसे न्यायिक भावना के साथ लागू किया गया है| किन्तु देखने में आया है EO enquiry के दौरान प्रकाश में आए तथ्यों और बिना आरोप सिद्ध हुए ही अपना निर्णय केवल प्रबंधन को खुश करने के मकसद से और आरोपों को सिद्ध कर दिया इसके लिए इनाम मिलेगा की भावना से कर रहे हैं| यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के पूर्ण रूप से विपरीत है| इस ओर ध्यान दिया जाए| वार्ता के दौरान एक प्रकरण संगठन प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसा हुआ है एवं Defense कार्यवाही में लिखित तथ्यों एवं प्रकाश में आए तथ्यों की अवहेलना हुई है|	प्रबंधन द्वारा समस्त जांच कार्यवाही की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण प्रयास किया जाता है। आरोपित अधिकारी /कार्मिक को बचाव हेतु अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जाता है व जांच अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर ही जाँच आख्या प्रस्तुत की जाती है।
19.	संगठन से सेवानिवृत्त कार्मिक भी लगातार संपर्क कर रहे हैं व अपनी समस्याएँ संगठन को चर्चा हेतु अत्यंत सकारात्मक आशा के साथ नोट करवा रहे हैं ताकि आपके माध्यम से उन समस्याओं का सकारात्मक निदान हो सके| सेवानिवृत्त कार्मिकों की समस्याओं को उचित रूप से समाधान हेतु हमारे संगठन Arayavart Bank Workers & Officers Organisation एवं भारतीय मज़दूर संघ से सम्बद्ध "आर्यावर्त बैंक सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण समिति" का गठन सोसाइटी रजिस्ट्री अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन किया गया है| समिति के पदाधिकारी आपसे विशेष रूप से भेंट एवं वार्ता करने के इच्छुक हैं कृपया हमारी सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण समिति के पदाधिकारियों को वार्ता हेतु, हमारी वार्ता के दौरान ही तिथि व समय आवंटित करने का कष्ट करें ताकि उन्हें वार्ता हेतु सूचित किया जा सके|	इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त आपको परमर्शित किया जायेगा।
20.	संगठन की राष्ट्रीय इकाई AIGBOO एवं AIGBWO द्वारा राष्ट्रीय स्तर की मांगों के संबंध में घोषित Agitational Notice की सूचना| राष्ट्रीय इकाई द्वारा बैंक को 18-08-2022 को ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है|	सूचना प्राप्त हो गयी है।

उपरोक्त प्रकार से वार्ता के अन्त में प्रबंधतंत्र ने वार्ता में भाग लेने वाले यूनियन प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए बैंक के विकास में अपना सक्रिय योगदान तथा वित्तीय वर्ष के शेष दिनों में बैंक के व्यवसाय संवर्धन के लिये अपना अपेक्षित सहयोग देने का आग्रह किया।

दिनांक : 09.09.2022

(के.के.सिंह)
सहायक महाप्रबंधक